कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 17/05//2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्य़ाःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 16.05.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. स्वाट/सर्विलांस व जंगीपुर पुलिस टीम के द्वारा बड़ी सफलता, नाजायज मादक पदार्थ गांजा की अवैध तस्करी करने वाले 02 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। जिनके कब्जे से 83.550 किग्रा गांजा (जिसकी अन्तराष्ट्रीय कीमत लगभग 20 लाख 88 हजार 750 रूपया है) बरामद किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष जंगीपुर अमित कुमार पाण्डेय मय हमराह व यूपी STF पुलिस टीम उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी व स्वाट /सर्विलांस टीम उ0नि0 शिवाकान्त मिश्रा मय हमराह द्वारा संयुक्त रूप से चलाये गये आपरेशन में मादक पदार्थ (गांजा) की अवैध तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह को **83.550 किग्रा मादक पदार्थ गांजा** (जिसकी अनुमानित कीमत अन्तराष्ट्रीय बाजार में करीब **20 लाख 88 हजार 750 रूपया** हैं) के साथ **ऊसर गांव से जैयराम पुर की तरफ जाने वाले रास्ते बहदग्राम नसीरपुर के पास** से समय करीब **19.45 बजे** दिनांक **15.05.2024** को अभियुक्तगण **1.छोटे लाल गुप्ता पुत्र स्व0 जमुना गुप्ता** निवासी हनुमान मंदिर के पास बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर **2.साहब राज यादव पुत्र रामजीत यादव** निवासी सिसवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की गयी। मादक पदार्थ गांजा की अवैध तस्करी करने वाले गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना जंगीपुर में **मु0अ0सं0 54/2024 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट** का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता व आपराधिक इतिहासः-

1.छोटे लाल गुप्ता पुत्र स्व0 जमुना गुप्ता निवासी हनुमान मंदिर के पास बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 58 वर्ष

❖ मु0अ0सं0 54/24 धारा 8/20/29 N.D.P.S. Act थाना जंगीपुर गाजीपुर

2.साहब राज यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी सिसवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ उम्र करीब 37 वर्ष।

❖ मु0अ0सं0 262/22 धारा 8/20/29 N.D.P.S. Act थाना तरवा जनपद आजमगढ़

❖ मु0अ0सं0 94/23 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना तरवा जनपद आजमगढ़

❖ मु0अ0सं0 54/24 धारा 8/20/29 N.D.P.S. Act थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग असम राज्य से ट्रक के केबिन के उपर बने हुड में छिपाकर नाजायज गांजा लाकर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदो में बेचते है। प्राप्त धन से अपने तथा अपने परिवार आर्थिक तथा भौतिक आवश्यक्ताओ की पूर्ति करते है। अभियुक्त साहबराज यादव द्वारा बताया गया कि वह पूर्व में भी गांजा तस्करी में संलिप्त रहा है तथा जेल भी जा चुका है।

बरामदगीः-

1. 83.550 किग्रा नाजायज मादक पदार्थ गांजा (अनुमानित कीमत अन्तराष्ट्रीय बाजार मे करीब 20 लाख 88 हजार 750 रूपया
2. एक अदद ट्रक UP53DT1183
3- 03 अदद मोबाईल फोन

02. स्वाट/सर्विलांस व थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.05.2024 को मोतीनगर चट्टी पर मारपीट कर मृत्यु कारित करने की घटना में संलिप्त 05 नफर अभियुक्तगण को घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 02 अदद लाठी व 01 अदद कुल्हाड़ी के साथ किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 14.05.2024 को थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 205/2024 धारा 147,149,304,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित 05 नफर अभियुक्तगण को आज दिनांक 16.05.2024 को पी0जी0 कालेज चौराहे के पास से समय करीब 02.50 बजे (रात्रि) गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद बाँस की लाठी अभियुक्त रामायन बिन्द की निशानदेही पर तथा अभियुक्त कृष्णा बिन्द की निशानदेही पर एक अदद कुल्हाडी एवं अभियुक्त अंगद बिन्द की निशानदेही पर एक अदद बाँस की लाठी बरामद की गयी। ज्ञातव्य है कि दिनाँक 13.05.2024 को ग्राम परमेठ बिन्दपुरवा निवासी दो पक्षों में आपस में मारपीट हो गयी थी जिसमें गम्भीर रुप से घायल राजकिशोर बिन्द पुत्र अन्तु बिन्द की दौराने इलाज मृत्यु हो गयी थी। थाना कोतवाली पर राजकिशोर बिन्द के पत्नी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वांछित अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी। आज दिनाँक 16.05.2024 को वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ--- पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया कि हम लोगो से दिनांक 13.05.2024 को शाम लगभग 8.30 बजे मोतीनगर चट्टी (भटौली) पर राजकिशोर बिन्द व अन्तु बिन्द तथा उनके घरवालो से दुकान से सामान खरीदने तथा पैसे को लेनदेन की बात को लेकर झगडा हुआ। जिसमे हम लोगो द्वारा उन लोगो को लाठी डण्डा व कुल्हाड़ी से मारा गया तो वे लोग घायल हो गये। हमलोग घटना के बाद वहाँ से भाग गये। बाद मे हम लोगो को मालूम हुआ कि राजकिशोर बिन्द की अस्पताल में मृत्यु हो गयी है। इसी डर से हम लोग गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की फिराक में थे तब तक आप लोगो द्वारा पकड लिया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता

1.कृष्णा बिन्द पुत्र शोभित बिन्द उर्फ राधेश्याम बिन्द उम्र करीब 22 वर्ष
2.अंगद बिन्द पुत्र लालबहादुर बिन्द उम्र करीब 20 वर्ष
3.गजनी बिन्द उर्फ शैलेश कुमार पुत्र स्व0 राजदेव बिन्द उम्र करीब 20 वर्ष
4.टुनटुन बिन्द उर्फ बुलेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल बिन्द उम्र करीब 29 वर्ष
5.रामायन बिन्द पुत्र शोभित बिन्द उर्फ राधेश्याम बिन्द उम्र करीब 20 वर्ष

समस्त निवासीगण परमेठ (बिन्द का पुरवा) थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

❖ मु0अ0सं0 205/2024 धारा 147,149,304,323,504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त टुनटुन बिन्द उर्फ बुलेन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल बिन्द उम्र करीब 29 वर्ष</u>

❖ मु0अ0सं0 205/2024 धारा 147,149,304,323,504,506 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

❖ मु0अ0सं0176/2019 धारा 323,504,506,34,354,376 भादवि थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर